संख्या:-33/2018/957/33-3-2018-53/2018 टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2018**

विषय:- मा0 प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा हेतु दिनांक 13 मार्च 2018 को सम्पन्न वीडियों कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 13 मार्च, 2018 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित किया जाना है:-

1- असन्तोषजनक प्रगति वाले जनपदों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि अभियान में अपेक्षित प्रगति लायी जा सके। इस उद्देश्य से ऐसे असन्तोषजनक प्रगति वाले जनपदों के साथ शासन स्तर से प्रत्येक सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा।

2- गंगा के किनारे स्थित ग्रामों में ओ.डी.एफ. की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इन ग्रामों में पुन: खुले में शौच की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु सम्बन्धित ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये तथा ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध भी निरन्तर कराया जाय।

3- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत असन्तोषजनक प्रगति वाले जनपदों को चिन्हित कर सतत् अनुश्रवण हेतु प्रदेश स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे जनपदों में प्रगति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में जनपद आवंटित किए जाय ताकि ऐसे जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के क्रियान्वयन में गति प्रदान की जा सके।

4- मण्डल एवं जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति के अनुश्रवण हेतु ग्राम आवंटित किये जाय। उक्त अधिकारी आवंटित ग्रामों में रात्रि निवास करते हुए समुदाय के साथ चर्चा कर उनमें स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन एवं शौचालयों के प्रयोग हेतु प्रेरित करेंगे तथा कार्यक्रम का गहन अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।

5- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामों में स्थित महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को उत्प्रेरित कर उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

6- प्रत्येक जनपद में निर्धारित अवधि में लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

7- दिनांक 10 अप्रैल, 2018 तक जिला चम्पारन (बिहार) में आयोजित की जा रही गतिविधियों के संस्तुत परिणामों को सभी जनपद प्राप्त करेंगे।

http://shasnadeshup.nic.in

8- कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) ग्रामों में प्रत्येक दशा में ओ.डी.एफ. की स्थिरता हेतु निर्गत मार्ग-निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियां सुनिश्चित की जायें तथा इस हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागों के स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाय।

9- समस्त जनपदों के विद्यालयों में अध्यापकों को अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाये ताकि उनके सहयोग से स्थानीय भाषा में लघु नाटक का प्रदर्शन कर स्वच्छता के प्रति वातावरण सृजन एवं उत्प्रेरणा के साथ स्थानीय समुदाय को खुले में शौचमुक्त ग्राम के महत्व की जानकारी दी जा सके। अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में बच्चों की स्वच्छतादूत के रूप में भूमिका सुनिश्चित की जाय तथा इस हेतु उनको जागरूक भी किया जाय। महत्वपूर्ण दिवसों यथा-15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर आदि को इस हेतु विशेष आयोजन किए जाय।

10- समस्त मण्डलायुक्त प्रति सप्ताह तथा जिलाधिकारी प्रतिदिन अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा जनपदों में प्रगति सुनिश्चित करायेंगे। जनपदों में प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन शासन स्तर पर की जायेगी।

11- प्रत्येक ग्राम में राजमिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण वृहद स्तर पर आयोजित किया जाये।

अत: इस संबधं में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि मा0 प्रधानमंत्री जी, द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अपने जनपदों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। निकट भविष्य में आपके जनपद में हुई प्रगति का अनुश्रवण प्रति सप्ताह उच्च स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:तदैव।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।

2-डा0 श्रीकार परदेशी, निदेशक प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को पत्र संख्या:-4805505/पी.एम.ओ./2017-ई.एस.2 दिनांक 19.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4-स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5-अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

6-आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

7-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

8-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उ0प्र0।

10-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

http://shasnadeshup.nic.in